

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित/ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 21.11.2020 प्रभारी निरीक्षक बरदह श्री विनोद कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री राजबहादुर यादव, का0 सुरेन्द्र शर्मा, का0 वृजेश गोड द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन करते हुए बक्सपुर बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली एक व्यक्ति अपने हाथ में पिपिया में अवैध शराब लिये हुए सरायमोहन से बक्सपुर की तरफ आ रहा है। मुखबीर की इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीगण के मुखबिर के बताये गये स्थान की ओर निकले कि जैसे ही गुजरा पुल ग्राम इशहाकपुर पहुँचे कि सामने से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रूकने का इशारा करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस बल को देख पीछे मुड़कर भागने लगा। जिसको पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 04.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछते पर अपना नाम सकलैन अहमद पुत्र इरशाद अहमद नि0 ग्राम उसरीखुरमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक सफेद प्लास्टिक के पिपिया में 20 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-290/2020 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

सकलैन अहमद पुत्र इरशाद अहमद ग्राम उसरीखुरमपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 290/2020 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 10/2017 धारा 379 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0स0 65/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0स0 269/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

20 लीटर अवैध शराब

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक बरदह श्री विनोद कुमार मय हमराह उ0नि0 राजबहादुर यादव, का0 सुरेन्द्र शर्मा, का0 वृजेश गोड थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर**अवैध असलहे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.11.2020 को SI सतीश कुमार यादव मय हमराही वृजेश शर्मा वास्ते देखभाल क्षेत्र चिवटही मोड़ पर मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति धरनीपुर विषया मोड़ के पास से गम्भीरपुर की तरफ अवैध तमन्चा लिये हुए जा रहा है। जिसे एक बारगी दबिश देकर पकड़ कर पूछताछ करने पर अपना नाम **राम ऋतुन चौहान पुत्र शम्भूनाथ चौहान निवासी मिर्जापुर दयालपुर थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़** उम्र 19 वर्ष बताया जिसके पास से एक अदद देशी तमन्चा नाजायज .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार व उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया गिरफ्तारी दिनांक 21.11.20 को समय करीब 20.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर बरामद असलहा व कारतूस के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 201/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।